



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

No. 136]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2003/चैत्र 4, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2003/CHAITRA 4, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2003

सा.का.नि. 240(अ).—केन्द्र सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 46 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश/नियुक्तियां करती है, अर्थात् :—

1. जबकि धारा 46 की उप-धारा (1) में एक अथवा एकाधिक न्यायनिर्णयन अधिकारी, जो केन्द्र सरकार में निदेशक की पंक्ति से अनिम्न न हो, की नियुक्ति का उपबंध है और उप-धारा (3) में अपेक्षित है कि ऐसा अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक अथवा न्यायिक क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा यथा विहित अनुभव धारित करता हो और केन्द्र सरकार ने राजपत्र की अधिसूचना सा.का.नि. 220(अ) दिनांक 17 मार्च, 2003 के जरिए न्यायनिर्णयन अधिकारी की अर्हता एवं जांच करने की रीति के संक्षिप्त नाम से सूचना प्रौद्योगिकी नियम की राजपत्र अधिसूचना के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में ऐसा नियुक्ति के लिए ऐसा अनुभव अधिसूचित किया है।

2. आगे यह और कि प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के सचिव जो सामान्यतः निदेशक की पंक्ति से अनिम्न नहीं हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव धारित करते हैं और यथा अपेक्षित विधिक/न्यायिक अनुभव हैं, प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के ऐसे सचिवों को एतद्द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रयोजन से न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अवसंरचना उपलब्ध कराएंगे और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा देखे जा रहे मामलों के अभिलेखों का अनुरक्षण करेंगे।

[सं. 2(8)/2000-कार्मिक I]

एस. लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Information Technology)****ORDER**

New Delhi, the 25th March, 2003

G.S.R. 240(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 46 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following order/appointments *viz.*—

1. Whereas Sub-section (1) of the Section 46 makes provision for appointment of one or more Adjudicating Officers not below the rank of Director to the Central Government and Sub-section (3) requires that such an officer should possess experience in the field of Information Technology and legal or judicial experience as may be prescribed by the Central Government and whereas such experience necessary for appointment as Adjudicating Officer has been notified by the Central Government as per the Gazette Notification for Information Technology Rules, 2003 under the short title Qualification and Experience of Adjudicating Officer and Manner of Holding Enquiry vide Gazette Notification G.S.R. 220(E) dated 17th March, 2003.

2. Further whereas the Secretary of the Department of Information Technology of each of the States or Union Territories are normally not below the rank of Director and possess the requisite experience in the field of Information Technology and also possess legal/judicial experience as required, therefore the Secretary of Department of Information Technology of each of the States or of Union Territories is hereby appointed as Adjudicating Officer for the purposes of the Information Technology Act, 2000.

3. The Department of Information Technology of each of the States or of Union Territories shall provide the infrastructure and maintain the records of the matters handled by Adjudicating Officer functioning in the States/Union Territories.

[F. No. 2(8)/2000-Pers. I]

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.